

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 146/ 2026

जमालुद्दीन शेख

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – राम सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा तथा गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज गुप्ता के वाद-धारक अधिवक्ता श्री मोहम्मद तालिब खान को सुना।
2. जनहित में दायर इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने ग्राम-भगतपुर, तहसील-लालगंज, प्रतापगढ़ में स्थित भूमि गाटा संख्या 278, क्षेत्रफल 0.849 हेक्टेयर, जो तालाब की भूमि के रूप में दर्ज है, पर निर्मित सड़क को हटाने हेतु निर्देश जारी करने की मांग की है और विपक्षी संख्या 6-खंड विकास अधिकारी से सड़क निर्माण में खर्च किए गए सरकारी धन की वसूली की भी मांग की है।
3. तहसीलदार, लालगंज, प्रतापगढ़ द्वारा प्रदान किए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा है कि कई ग्रामीणों ने बयान दिया है कि विचाराधीन मार्ग का उपयोग विगत 50 से अधिक वर्षों से किया जा रहा था। उस पर लगभग 20 वर्ष पूर्व खड़जा बिछाया गया था और अब उसी स्थान पर आरसीसी सड़क का निर्माण किया गया है। बरसात के मौसम में मात्र यही मार्ग उपलब्ध होता है और उस मौसम में आवागमन के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख पर ग्रहण की गई है।
5. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वे याचिका पर आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं।
6. तदनुसार, वर्तमान याचिका खारिज की जाती है।

20 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)